

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/176  
मुकदमा नम्बर 67/2024

दर्ज दिनांक-20.05.2024

1. अनिल पुत्र रघुनाथ
2. विजय पुत्र रघुनाथ
3. बिमल पुत्र रघुनाथ समस्त जाति ब्राहमण, निवासीगण कंवरपुरा बालाजी डुण्डलोद, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

वकील आवेदक :- श्री महेश कुमार वर्मा  
अनावेदक :- पैरो. राज

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

**:: आदेश ::**

निर्णय दिनांक 18.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम कंवरपुरा बालाजी पटवार हल्का डुण्डलोद में स्थित कृषि भूमि नई खाता सं. 169 पुराना 15 की भूमि खसरा नं. 1065/414 रकबा 0.29 है की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी कायम करवाई जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज प्रकट नहीं किया। बहस वकील आवेदक द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को राजस्व ग्राम कंवरपुरा बालाजी पटवार हल्का डुण्डलोद में स्थित कृषि भूमि नई खाता सं. 169 पुराना 15 की भूमि खसरा नं. 1065/414 रकबा 0.29 है की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी कायम करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर उक्त सम्बन्ध में जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी में सीमाज्ञान करते हुये, पत्थरगढ़ी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18/03/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू